राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः—प.10(7) परि/लेखा/जलेस/2014—15/8844-50 दिनांक : 22/5/2015

कार्यालय आदेश संख्या : 15/2015

विषय :— जन लेखा समिति 2014—15 के 10वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 9 एवं 10 की अनुपालना के संबंध में।

सीएजी प्रतिवेदन वर्ष 2008—09 के अनुच्छेद संख्या 3.2.16 में सांख्यिकी प्रतिदर्श के आधार पर की गई दक्षता लेखा परीक्षा में पाई गई आपत्तियों को राज्य में पंजीकृत वाहनों की सम्पूर्ण संख्या पर लागू करके अस्थाई पंजीयन फीस, प्रशमन फीस, अनुज्ञा फीस का अनारोपण तथा मोटर वाहन कर एवं शास्ति की अवसूली के मामलों की वास्तविक राशि को राज्य की सम्पूर्ण वाहन संख्या पर लागू करने पर संभावित छीजत की राशि 477.63 करोड़ रू. की दर्शाई है।

उक्त प्रतिवेदन की विभाग द्वारा प्रेषित की गई अनुपालना पर जन लेखा समिति वर्ष 2014—15 के 10वें प्रतिवेदन में लेखा परीक्षा द्वारा बताई गई वास्तविक राशि में से शेष रही बकाया राशि के लिए समय सीमा निर्धारित की जाकर वसूली करने तथा वाहनों के कर खातों में प्रविष्टियां पूर्ण करके वास्तविक बकाया राशि ज्ञात कर उसकी वसूली की जाकर प्रधान महालेखाकार तथा जन लेखा समिति को सूचित किये जाने संबंधी सिफारिशें की गई है। उक्त विषय में सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है :—

1. जन लेखा समिति 2014—15 के 10वें प्रतिवेदन (सीएजी प्रतिवेदन वर्ष 2008—09) की कुल आक्षेपित राशि में से वसूली पश्चात शेष रही राशि की एक माह में वसूली की जाकर अनुपालना निर्धारित प्रपत्र में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. जिन वाहनों से कर की राशि वसूल हो चुकी है उनकी प्रविष्टि कर खातों में किया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर जमा नहीं कराया गया है उनसे शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जावें।
4. ऐसे वाहन जो मार्ग पर संचालित नहीं है अथवा नष्ट हो चुके है, को विभागीय अधिसूचना दि. 09.03.2015 के तहत एमनेस्टी योजना की परिधि में लाकर कर देयता समाप्त करें।

(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. समस्त अति. परिवहन आयुक्त।
3. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. मुख्य. लेखाधिकारी, वरि. लेखाधिकारी, लेखाधिकारी (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार।

22/5/15
(सुरेश सिंघल)
वित्तीय सलाहकार

E:\2014-15 letters1.docx